

अहकाम
हुक्म व
में जा

अहकाम उपलब्ध दि हुक्म राजाके
हुक्म या कार्रवाही मय इनिशियल जज
वक्फ मीनाद्वारे बकाय रामविवास
हुक्म 11/4/16 दाय

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

प्राक्कले पेश हुयी वकील उमदपक्ष उपर
प्राक्कले अल्लोकात किम गद्य तब्य, पड्ड
विद्वान अधिपक्षगण सुनी गये। तब्य इसे
उफार से है कि यह शय वापीगण दाय इन
तब्य के साथ फे सिपकि विवादि हारके लन
1284 रकवा 2वीद्य 11 सिवा 1 रूबेर अगम शानि
लइसीत राजाके मे वापि सं। लगान्त 5 एव उरि सं
10 ल 12 संयुक्त रूप 1/4 भागके, वापीगण सं
6 व 7 संयुक्त रूप से 1/2 भागके एव उरिकाके
सं 9 1/4 भागके अन्तरेयत फाईफार है तब्य
इसी अनुसृत फासिफ फाईफे। जगदीश उसाद
के सिधन के गये है वापि सं। उरि विद्वान सं
वापि सं 2 ल 5 उरि सं 10 व 11
उरि सं 12 जगदीश उसाद की मूर उरि
शानकामेय सं 12 है। उरिकाके सं। ल 8
का विवादि हारके मे फाई संयुक्त व सरसगत
नये है इस हारके के फाई सं संयुक्त
आम शान है जिस पर उरिकाके ने शारिफ गण
कर रहा है एव पुस्त 5 ल वक सिप है एव नीव
खोद रहे है जब वापीगण का पूरा तब्य मे वड वेर
पर गये एव असे मना किम ला उरि सं फाई कि
विवादि हारके मे उनके नाम नये है उरिकाके
वापि सं। ल 8 उरि सं 10 संयुक्त 6 व 7 ने
शेजते की कोशिस जी तब्य फाईफे फाईफे जे
जई सीमा उता रहे है उरि सं संयुक्त सं गये
एव अमकेरी की लड़ी व वकू की लोक पर पुवत
सिमिनि अरेंग एव उरिकाके राजाके के पडा
कहते पर भी कोई कार्रवाही नये हुयी। जगदीशके
मूल पर उरिकाके वासिमान एव उरि सं 10 ल 12 उरि सं
स्पान पर आपना नाद हुनी करत याद के शारिकामे
है। उरि सं 9 2 ल के कर्मपये है उरिकाके 5 पुथे
विलास उरि सं उरिकाके उरि सं उरिकाके उरिकाके
वनाय है। उरिकाके सं 13 शारिकामे जेन का वपड
के फाईफे वनाय है। वापि सं के उरि सं उरिकाके उरिकाके
जगदीश उसाद की मूल के उरिकाके वापि सं
1 ल 5 एव 10, 11 व 12 के उरिकाके 1/4 उरिकाके वरं

ना 14/12/2018 को जमाना का रिपोर्ट कर देते हुए
इसके अंतर्गत 2018-19 के अंतर्गत
पहले 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा, 3 अक्टूबर से 10/11/2018
तक रिपोर्ट जमा करने में उपासी न करने से एकपक्षीय
आदेश अपील में लगे गये तब, गेव उचित
आदेश में लगे गये।
इसके अंतर्गत 2018-19 के अंतर्गत
जमाना 2018-19 के अंतर्गत
उपरोक्त की है।

किस विधान अधिकारी नसीब नहीं
होनी गयी। अपने कस में उसके
के कस में के अंतर्गत तब इस
बाबत रिपोर्ट किया।

इसमें परतली का अक्षेपण किया गया
किस विधान अधिकारी नसीब नहीं
किया गया जमाना के अंतर्गत
कि रिपोर्ट जारी के अंतर्गत
उसके, शमरन सिंह के अंतर्गत
इसके अंतर्गत जमाना
जमाना उसके अंतर्गत
1/5 अंतर्गत वापिस। ल. 5 एक उचित से 10/11/2018
अनुसार अपने नाम दर्ज कराने के अंतर्गत
इसके अंतर्गत जमाना
आदेश पर इसमें परतली जमाना
इसके अंतर्गत रिपोर्ट जमाना

उसके अंतर्गत
किस जमाना आदेश है कि इस वापिस
1284 अंतर्गत 2018-19 के अंतर्गत
जमाना उसके अंतर्गत
10/11/2018 के अंतर्गत
अनुसार अपने नाम दर्ज कराने के अंतर्गत
इसके अंतर्गत जमाना
किसके अंतर्गत जमाना
आदेश पर इसमें परतली जमाना
पचास अंतर्गत जमाना
वापिस अंतर्गत जमाना
आदेश पर इसमें परतली जमाना

उपरोक्त अंतर्गत
राजस्थान न्याय

राजस्थान लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

राजस्थान न्याय
अदालत